

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026-27

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित दिशा-निर्देश

आरएमएस 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद अवधि व किसान पंजीकरण के क्रम में

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03/02/2026 व 10/03/2026 द्वारा रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु जारी खरीद सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

1. आरएमएस 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 16 मार्च, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे | उक्त दिशा-निर्देशों में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में आरएमएस 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 16 मार्च 2026 से 31 मई, 2026 तक किया जायेगा |
2. आरएमएस 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु किसान द्वारा पंजीकरण का कार्य दिनांक 16 मार्च 2026 से 25 मई, 2026 तक किया जा सकेगा |

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे | यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

(महावीर प्रसाद व्यास)

उपायुक्त (पंचम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि / वित्त / राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग / बोर्ड, राजस्थान, जयपुर ।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर ।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ/RSWC, राजस्थान, जयपुर ।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर ।
12. वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर ।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी ।

RajKaj Ref No.:  
21409566

